राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....16 / 2018..जिला...........जयपुर..

उनवान – मैसर्स गोविन्द ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त एच, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19 / 04 / 2018	**एकलपीठ कैम्प जयपुर** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जी.एन.शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 9,59,554 / – में से 8,65,000 / – रूपये को स्थगित किया तथा 94,554 / – रूपये की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने शेष राशि रूपये 94,554 / – को अस्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 94,554 / – की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मांग स्थगन राशि रूपये 9,59,554 / – में से राशि रूपये 8,65,000 / – को तो स्थगित कर दिया, परन्तु शेष रही राशि रूपये 94,554 / – को स्थगित नहीं किये जाने बाबत कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया है। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के क्रेता को खरीद कीमत से कम कीमत पर माल का विक्रय किया जाना बताते हुये लगातार...........2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....16/2018..जिला...........जयपुर...

उनवान – मैसर्स गोविन्द ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त एच, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/04/2018	 आईटीसी को अधिनियम की धारा 18(3A) के तहत् रिवर्स किया गया है, परन्तु धारा 18(3A) के अनुसार माल का **'सब्सीडाईज मूल्य'** पर विक्रय किये जाने के कोई तथ्य नहीं बताए है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होने से अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग रूपये 94,554/– की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जातें हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गयां। (मदनलाल मालवीय) सदस्य	